



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072022-237499
CG-DL-E-23072022-237499

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3184]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 22, 2022/आषाढ़ 31, 1944

No. 3184]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 22, 2022/ASHADHA 31, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2022

का. आ. 3345(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उड़ीसा राज्य के बालेश्वर जिले में NH16 के कि.मी. 180 से कि.मी.199.141 (एट/ पोष्ट/- श्रीकृष्णापुर, पस- रेमूना डिस्ट्रिक्ट- बालेश्वर) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "३०.०१.२०२२" को "समाज" और "ओडिशापोस्ट" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य के बालेश्वर जिले में NH16 के कि.मी. 180 से कि.मी.199.141 (एट/ पोष्ट/- श्रीकृष्णापुर, पस- रेमुना डिस्ट्रिक्ट- बालेश्वर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उड़ीसा		जिले का नाम: बालेश्वर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: रेमुना				
	गांव का नाम: हिराटिकिरि - 227				
1	1350	निजी	शरद II	0.0048563	गिरीश चेन्द्रा पेन्डा, S/o चरण पेन्डा of हिरातिकिरी ()
	गांव का नाम: माङ्गोइसाहि - 249				
2	199	निजी	शरद III	0.0040469	स्वर्णलता मोहंती, W/o भागवत प्रेसड् मोहंती of सरगढ ()
3	200/385	निजी	घरबरी	0.0048563	विश्वनाथ नायक, बैद्यनाथ नायक, S/o रघुनाथ नायक of सरगढ ()
4	200/387	निजी	घरबरी	0.0020235	बसन्त मंजरी डेस्, W/o सेन्ट्रेय कूमार् बारिक of बौनसमूहन ()
5	200/419	निजी	घरबरी	0.0024282	उदय नारायान् मोहंती, S/o बाईधार मोहंती of सरगढ ()
6	306	निजी	पतित	0.0028329	पुरस्तम रथ, S/o त्रिलोचन रथ of सरगढ ()
7	308	निजी	आदि	0.0242817	पुरस्तम रथ, ऍस्/ओ त्रिलोचन रथ आफ सरगढ ()
8	308/375	निजी	आदि	0.0101174	देवेन्द्र नेत् रथ, S/o नकुल चरण रथ of सरगढ ()

गांव का नाम: सेरगढ़-248					
9	2863	निजी	घरबरी	0.0072845	अमूल्य चरण पेन्डा, S/o चरण पेन्डा of सरगढ़ ()
10	970	निजी	शरद ।	0.0137596	प्री माँ बसंती देवी, C/o सिसिर कुमार सेनापति and others of सरगढ़ ()
11	970/3403	निजी	शरद ।	0.0101174	वंशीधर डेस्, S/o कंगाली डेस् of सरगढ़ ()
12	973	निजी	शरद ।	0.0024282	हरीश चेन्द्रा पेन्डा, S/o चरण पेन्डा of सरगढ़ ()
			कुल	0.0890329	

[फा. सं. NHAI/BOT/11012/58/2005/Pt./LA/NH-16/3D4]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2022

S. O. 3345(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH16 on the stretch of land from Km 180 to Km 199.141 (At/Post- Srikrushnapur, PS- Remuna, Dist- Balasore) in the district of BALASORE in the state of ODISHA

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Samaj” and “The Orissa Post” both dated 30.01.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections have been received from any corner by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH16 in the stretch of land from NH16 (At/Post- Srikrushnapur, PS- Remuna, Dist- Balasore) in the district of BALASORE in the state of ODISHA

State: ODISHA		District: BALASORE			
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Remuna				
	Village: Hiratikiri-227				
1	1350	Private	Sarad II	0.0048563	Girish Chandra Panda, S/o Charan Panda of Hiratikiri
	Village: Madagodasahi-249				
2	199	Private	Sarad III	0.0040469	Swarnalata Mohanty, W/o Bhagabat Prasad Mohanty of Sergarh
3	200/385	Private	Gharabari	0.0048563	Biswanath Nayak, Baidyanath Nayak, S/o Raghunath Nayak of Sergarh
4	200/387	Private	Gharabari	0.0020235	Basanta Manjari Das, W/o Sanjay Kumar Barik of Baunsamuhan
5	200/419	Private	Gharabari	0.0024282	Udaya Narayan Mohanty, S/o Baidhar Mohanty of Sergarh
6	306	Private	Patita	0.0028329	Purastam Ratha, S/o Trilochan Ratha of Sergarh
7	308	Private	Adi	0.0242817	Purastam Ratha, S/o Trilochan Ratha of Sergarh
8	308/375	Private	Adi	0.0101174	Debendra Nath Ratha, S/o Nakul Charan Ratha of Sergarh
	Village: Seragada-248				
9	2863	Private	Gharabari	0.0072845	Amulya Charan Panda, S/o Charan Panda of Sergarh
10	970	Private	Sarad I	0.0137596	Sri Maa Basanti Devi, C/o Sisir Kumar Senapati and others of Sergarh
11	970/3403	Private	Sarad I	0.0101174	Bansidhar Das, S/o Kangali Das of Sergarh
12	973	Private	Sarad I	0.0024282	Harish Chandra Panda, S/o Charan Panda of Sergarh
			TOTAL	0.0890329	

[F. No. NHA/BOT/11012/58/2005/Pt./LA/NH-16/3D4]
RAJESH GUPTA, Director